भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1484
दिनांक 10.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

1484. श्री भोलानाथ 'बी.पी. सरोज'
कुंवर दानिश अली

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कई गरीब लोगों को विशेषकर भारत से थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और कतर/खाड़ी देशो में विभिन्न एजेंसियों द्वारा मजदूरी अर्जित करने हेतु काम के लिए विदेश भेजा जाता है और उन्हें बिना वेतन के जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है तथा उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाते हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;
(ग) क्या सरकार ने विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा ऐसे श्रमिकों को भारत वापस लाने में कोई सहायता प्रदान की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी एजेंसियों के विरुद्ध एजेंसी–वार क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ङ) भारत सरकार भारत से केवल वैध प्रवास को प्रोत्साहित करती है। मंत्रालय विभिन्न हितधारकों को सुरक्षित और वैध प्रवास के लाभ तथा फर्जी या अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के माध्यम से अवैध प्रवास को रोकने के संभावित तरीकों के संबंध में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। अवैध एजेंटों के संबंध में जानकारी भी ई–माइग्रेट पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड और अपडेट की जाती है।

मंत्रालय समय–समय पर फर्जी जॉब रैकेट के संबंध में परामर्शी, मीडिया ब्रीफिंग और ट्वीट भी जारी करता है। विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र भी इस प्रकार की सूचना अपनी वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जारी करते हैं। थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया में स्थित हमारे मिशनों ने नौकरी संबंधी धोखाधड़ी से संबंधित ऐसे मामलों की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात जुलाई 2022 से परामर्शी जारी की है ताकि भारतीय नागरिकों को सतर्क किया जा सके कि वे रोज़गार संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले सभी पूर्ववृत्तों की जाँच कर लें।

जब भी अवैध एजेंटों द्वारा श्रमिकों के शोषण से संबंधित मामलों की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों और भारत में स्थित प्रवासी कार्यालय संरक्षक द्वारा त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जाती है। 10 जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार 2331 अवैध एजेंट ई–माइग्रेट पोर्टल में अधिसूचित किए गए हैं। प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर यह जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाती है। वर्तमान कानूनों के अनुसार अवैध/फर्जी एजेंटों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए ये शिकायतें संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों को भी भेजी जाती हैं।

जब भी ऐसे मामले मंत्रालय के संज्ञान में आते हैं, मंत्रालय विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों के माध्यम से विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए पूर्व–सक्रिय उपाय करता है

*****